

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१७

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: श्री रसा आर. वर्मा  
 2. वर्तमान धारित पद: उपसंचालक  
 3. वर्तमान वेतन: 878.00/-  
 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख: अगस्त-2019

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **द्वारे, भेट, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	वर्गीकरण
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)								
जिला काठियावाड़, पी-जिला ड. ल. महेश्वर, जिला रवरजोग (अ.प्र.)	पैलव अकाग	60x80	65	000/-	चार आर्द्धों के हिस्से में।	पैलव अकाग		अकाग-चार आर्द्ध हिस्से
"	इण्डियन	8 बीघा	4,50,000/-		पिताजी की अत्युपश्रान्त हिस्से में प्राप्त एवं अभिजातियों के कर्म के द्वारा स्वयं के नाम पर			
"	ज्ञानाश्रीवा अक्षा (क्षेत्र अंजित)	60x40	3,50,000/-		पिताजी पर	पिताजी पर		
"	1.80 एकड़							
महेश्वर, लंदरसीन महेश्वर जिला रवरजोग (अ.प्र.)	ज्ञानाश्रीवा अक्षा (क्षेत्र अंजित)	60x40	32,00,000/-		पिताजी पर	पिताजी पर		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महिने की अवधि के परवाने यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

नाम: रसा आर. वर्मा  
 पद: उपसंचालक